न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 07/2019

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. राजेश कुमार मेहरा पुत्र चौथाराम मेहरा, जाति–मेघवाल, निवासी–निम्बेटी (रास–1), तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज.)		1. भंवरूराम पुत्र कालुराम 2. पेमाराम पुत्र कालुराम 3. नेनाराम पुत्र कालुराम जातियान–मेघवाल, निवासीगण–रूपनगर 4. बलदेव पुत्र हुकमाराम फौत के कायम मुकाम 1. पाबुराम पुत्र बलदेव फौत के कायम मुकाम 1. कंचनदेवी पत्नी पाबुराम 2. भंवरलाल पुत्र पाबुराम 3. गिरधारी पुत्र पाबुराम 4. घनश्याम पुत्र पाबुराम 5. सीतादेवी पुत्र पाबुराम निवासी–रास, तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज.) 5. तहसीलदार, जैतारण तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजूः.08/01/2019**

उपस्थितः. 1. श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री किशोर कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 19/02/2019**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–निम्बेटी पटवार हल्का रास–प्रथम, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में वादी व प्रतिवादी संख्या एक से चार की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि जमीन खसरा नम्बर 604 रकबा 04–13 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 605 रकबा 2–10 बीधा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। जिसके वादी खातेदार काश्तकार है। जिस पर वादी का राजस्व रेकर्ड में वर्णित हिस्से पर शांति पूर्वक बिना किसी रोक टोक के कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज है। जिसकी जमाबंदी की प्रमाणित नकल दावा के साथ पेश की जा रही है जिसे दावा का एक आवश्यक भाग माना जावें। उक्त आराजी पर वादी मौके पर काबिज है एवं शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे है एवं उक्त आराजी का वादी उपयोग उपभोग करते आ रहे है। एवं वादी अपने हिस्से की भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए बैंक से ऋण व किसान क्रेडिड कार्ड बनाना चाहता है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में खाता शामलाती होने से वादी अपने हिस्से की भूमि पर बैंक से कोई सहायकता प्राप्त नहीं कर सकता है एवं हर समय छोटी से छोटी बात पर आए दिन आपस में विवाद होता रहता है वादीगण अपने हिस्से की भूमि पर बैक से ऋण लेना चाहता है तथा खाद डालकर उपजाऊ बनाना चाहता लेकिन राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा नहीं होने से भूमि पर किसान क्रेडिड कार्ड बनवाना चाहता है दिगर प्रतिवादीगण वादी को अपने हिस्से की भूमि पर काश्त नहीं करते है। इसलिए उक्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जाना आवश्यक है। वादी एवं प्रतिवादीगण की उक्त मुतनाजा जमीन के रास्ता लगता है। एवं मौके पर वादी व प्रतिवादीगण अलग–अलग अपने हिस्से अनुसार काश्त करते आ रहे है लेकिन उक्त जमीन रास्ता के लगते ही आने व जमीन की कीमतें बढने से मौके पर जमीन वादी के पास कम होने से व प्रतिवादीगण रास्ते के पास अपने हिस्से के ज्यादा जमीन पर बिना बंटवाड़ा ही कब्जा करना चाहते है। एवं उक्त मुतनाजा जमीन का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाडा करवाने बाबत् वादीगण ने

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

प्रतिवादीगण को दिनांक 15/12/2018 को कहा तो प्रतिवादीगण उक्त मुतनाजा भूमि के खसरा नम्बर 604, 605 का बंटवाडा करने का कहा तो साफ मना कर दिया एवं रास्ते के पास अपने हिस्से ज्यादा जमीन पर कब्जा करने पर उतारू हो गये व उक्त मुतनाजा भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाडा करवाये बिना ही कानून हाथ में लेकर विधि विरुद्ध तरीके से शुरू कर दिया एवं बकाया प्रतिवादीगण ने बंटवाडा करने से मना कर दिया जबकि मुतनाजा जमीन का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाडा नहीं हो जाता तब तक प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का समान हक, हिस्सा अधिकार रहता है इसलिए उक्त मुतनाजा जमीन का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवाड़ा किया जाना जरूरी है उक्त वाद बंटवाड़ा का होने से सभी खातेदारान को पक्षकार बनाया गया है। उक्त मुतनाजा जमीन का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाडा हुये बिना ही प्रतिवादीगण अपने हिस्से से ज्यादा जमीन पर केवल मात्र लाठी के बल पर उक्त भूमि जो रास्ते के पास मुख्य भाग पर उक्त खसरा की जमीन पर उक्त आराजी पर कब्जा कर लेगे या किसी अजनबी विक्रेता को बैचान बिना बंटवाडा कर देंगे तो वादी अपने जायज अधिकारों से हमेशा के लिये वंचित हो जायेगा एवं वादी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध विविध प्रकार के मुकदमें बाजी करनी पडेगी जिससे वादी जेर बार होगा एवं मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसेडिंग्स होगी जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत में संभव नहीं होगी इसलिए प्रतिवादीगण को उक्त मुतनाजा जमीन में कब्जा करने व कच्चा या पक्का निर्माण यानि दिवास बनाने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावें एवं वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी करने से प्रतिवादीगण स्वयं व इनके परिवार के सदस्य को रोका जाना जरूरी है। उक्त मुतनाजा जमीन के राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हिस्से माफिक मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के रास्ते पर सभी खातेदारान को अपने हिस्से माफिक बंटवाडा किया जाकर पत्थरगढी करवाकर खाता अलग अलग किया जाकर लगान अलग की जाकर राजस्व रेकर्ड के ट्रेस नक्शा में लाल स्याही से तरमीम किया जावें। प्रतिवादी संख्या 5 तहसीलदार जैतारण लैण्ड हॉल्डर है और दावा बंटवाडा का होने से आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। बिनाय दावा वादी ने प्रतिवादीगण को दिनांक 15/12/2018 को बंटवाड़ा करवाने का कहा तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया एवं प्रतिवादीगण ने ऐलानिया धमकी दी कि बंटवाड़ा नहीं होने देंगे एवं हम तो हमारे हिस्से से ज्यादा रास्ते पर लेके रहेंगे तब बमुकाम निम्बेटी में पैदा हुआ जो अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन्नस् वास्ते जवाब दावा तलब किये गयें। लोक अदालत की भवाना से वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण मय प्रतिवादी संख्या 01 से 03 व 4/1 ने राजीनामा पेश किया, राजीनामा में जाहिर किया कि वाद में वर्णित आराजी का राजस्व रेकर्ड में वर्णित हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादीगण का मौके पर बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से किया जावें तो प्रतिवादीगण को कोई आपति नही हैं। माफिक राजस्व रेकर्ड बंटवाड़ा करने का आदेश फरमावें। प्रतिवादी संख्या 4/2 से 4/5 बावजुद सम्मन तामिल/सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। बाद राजीनामा तस्दीक किया जाकर सा.मि.किया गया। वाद के समर्थन में वादी का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया सा.मि.किया गया। बहस वकुलाय सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र, दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी एवं प्रतिवादीगण बरुबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, लिहाजा पक्षकारान् में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा की प्राथमिक डिकी जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा-निम्बेटी पटवार हल्का रास-प्रथम, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में वादी व प्रतिवादी संख्या एक से चार की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि जमीन खसरा नम्बर 604 रकबा 04-13 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 605 रकबा 2-10 बीधा किस्म बारानी दोयम भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर आदेशित किया गया।

तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2018/1117 दिनांक 18/02/2019 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा का गहनता से अवलोकन किया गया। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा फर्द पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर हैं। वकुलाय को सुना गया। वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–::आदेश::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–निम्बेटी पटवार हल्का रास–प्रथम, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में वादी व प्रतिवादी संख्या एक से चार की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 604 रकबा 04–13 बीघा किस्म बाारानी दोयम व खसरा नम्बर 605 रकबा 2–10 बीघा किस्म बारानी दोयम, की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	भंवरूराम पुत्र कालुराम कौम मेघवाल सा. रूपनगर खातेदार	605/1	0-18-00	बा.दो.	0.23
2	पेमा पुत्र कालुराम कौम मेघवाल सा. रूपनगर खातेदार	605/2	0-18-00	बा.दो.	0.23
3	नेनाराम पुत्र कालुराम कौम मेघवाल सा. रूपनगर खातेदार	604/1	0-18-00	बा.दो.	0.23
4	राजेशकुमार मेहरा पुत्र चौथाराम कौम मेघवाल सा. निम्बेटी खातेदार	604/2 605	0-04-00 0-14-00	बा.दो. बा.दो.	0.05 0.16
5	कंचनदेवी पत्नी पाबुराम भंवरलाल गिरधारी घनश्याम पिता पाबुराम सीतादेवी पुत्री पाबुराम कौम मेघवाल सा.रास खातेदार	604	3-11-00	बा.दो.	0.89

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

(मोहनलाल अटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 19/02/2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(मोहनलाल अटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला पाली (राज0)